

## किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बिना लाइसेंस आप्रवासन सलाह दे रहा है?

आप्रवासन सलाहकार प्राधिकरण (Immigration Advisers Authority) से संपर्क करें। हमें जानकारी देने से आपकी आप्रवासन स्थिति प्रभावित नहीं होगी।

आप्रवासन सलाहकार प्राधिकरण, आप्रवासन सलाह प्राप्त करने वाले लोगों के हितों को प्रोत्साहित और उनकी रक्षा करता है।



### हम निम्न में आपकी सहायता कर सकते हैं:

- › कोई लाइसेंसीकृत आप्रवासन सलाहकार प्राप्त करना
- › एक लाइसेंसीकृत सलाहकार कैसे बनें इससे समझना
- › अगर आपको घटिया आप्रवासन सलाह प्राप्त हुई है।

### हम निम्न नहीं कर सकते

- › आप्रवासन सलाह देना
- › एक सलाहकार पर दूसरे सलाहकार का सुझाव देना।

### संपर्क करें

आप्रवासन सलाहकार प्राधिकरण  
(Immigration Advisers Authority)  
info@iaa.govt.nz  
0508 422 422 (NZ से नि:शुल्क)  
+64 9 925 3838 (NZ से बाहर)  
www.iaa.govt.nz

## छूट-प्राप्त लोग

छूट-प्राप्त लोगों को आपको आप्रवासन सलाह देने के लिए लाइसेंसीकृत होना आवश्यक नहीं है। कुछ छूट-प्राप्त लोग निम्न हैं:

### न्यूज़ीलैंड वकील

न्यूज़ीलैंड के वकील बिना लाइसेंस आप्रवासन सलाह दे सकते हैं, बशर्ते उनके पास न्यूज़ीलैंड कानून सोसाइटी (New Zealand Law Society) से वर्तमान में न्यूज़ीलैंड में प्रैक्टिस करना का प्रमाणपत्र हो। निम्न पर वकील प्राप्त करें: [www.lawsociety.org.nz](http://www.lawsociety.org.nz)



### न्यूज़ीलैंड से बाहर के शिक्षा एजेंट

न्यूज़ीलैंड से बाहर रहने वाले शिक्षा एजेंट बिना लाइसेंस के छात्र विज्ञा पर आप्रवासन सलाह दे सकते हैं, लेकिन किसी अन्य विज्ञा प्रकार पर सलाह देने के लिए लाइसेंसीकृत होने चाहिए।

न्यूज़ीलैंड में रहने वाले शिक्षा एजेंट को किसी भी विज्ञा पर आप्रवासन सलाह देने के लिए लाइसेंसीकृत होना होगा।

### आप्रवासन न्यूज़ीलैंड

आप्रवासन न्यूज़ीलैंड, [www.immigration.govt.nz](http://www.immigration.govt.nz) पर ऑनलाइन विज्ञा आवेदन पत्र और मार्गदर्शिका प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है।



छूट-प्राप्त लोगों की पूरी सूची के लिए [www.iaa.govt.nz](http://www.iaa.govt.nz) पर जाएँ।

## IMMIGRATION ADVISERS AUTHORITY

इसके लिए आपकी मार्गदर्शिका:

# न्यूज़ीलैंड लाइसेंसीकृत आप्रवासन सलाहकार

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यूज़ीलैंड में या उससे बाहर न्यूज़ीलैंड आप्रवासन सलाह प्रदान कर रहा है, अगर वह छूट-प्राप्त नहीं है, तो वह आप्रवासन सलाहकार प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसीकृत होना चाहिए।

HINDI



## एक लाइसेंसीकृत सलाहकार का उपयोग करने के लाभ

अगर आपको आप्रवासन सलाह चाहिए, तो लाइसेंसीकृत सलाहकारों के पास उसमें विशेषज्ञ जानकारी हैं। उन्होंने योग्यता मानकों को पूरा किया है और एक व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करते हैं।



### आचार संहिता के अनुसार सलाहकारों के लिए निम्न आवश्यक है:

- › ईमानदार, व्यावसायिक होना और सम्मान देना
- › आपको समय-समय पर आगामी अपडेट देना
- › निष्पक्ष और उचित फ़ीस लेना।

### लाइसेंसीकृत सलाहकार आपकी निम्न में सहायता कर सकते हैं:

- › अपने सभी विज्ञा विकल्पों को एक्सप्लोर करना और सही विज्ञा चुनना
- › अपना विज्ञा आवेदन पत्र तैयार करना
- › न्यूज़ीलैंड में बसना
- › यह पता करना कि क्या आप एक अस्वीकृत विज्ञा के लिए अपील कर सकते हैं
- › अपने विकल्पों के बारे में जानना, जब आप न्यूज़ीलैंड में गैर-कानूनी रूप से हों।

### फ़ीस और सेवाएँ

लाइसेंसीकृत सलाहकारों की विशेषज्ञता, लिए जाने वाले शुल्क और दी जाने वाली सेवा का स्तर अलग-अलग हो सकता है। यह तय करने से पहले कि कौन आपकी आवश्यकता को सर्वश्रेष्ठ रूप से पूरा करता है, आपको कई सलाहकारों से बात करनी चाहिए।

## लाइसेंसीकृत आप्रवासन सलाहकार

### कोई लाइसेंसीकृत सलाहकार प्राप्त करें

आप्रवासन सलाहकार प्राधिकरण [www.iaa.govt.nz](http://www.iaa.govt.nz) पर ऑनलाइन रजिस्टर रखता है, जो आपको निम्न करने देता है:

- › लाइसेंसीकृत आप्रवासन सलाहकार खोजना
- › किसी सलाहकार की संपर्क जानकारी देखना
- › किसी सलाहकार के लाइसेंस का इतिहास देखना।

### वॉलेट कार्ड के लिए देखें

सभी लाइसेंसीकृत आप्रवासन सलाहकारों के पास एक वॉलेट कार्ड होता है। केवल फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति ही आपको आप्रवासन सलाह दे सकता है।

**IMMIGRATION ADVISERS AUTHORITY**

**Joe Bloggs**

Telephone 449 5565 7421  
Mobile 44 1539 242211  
Email [joebloggs@joebloggs.com](mailto:joebloggs@joebloggs.com)  
Website [www.joebloggs.com](http://www.joebloggs.com)

Licence Status - CURRENT What does this mean?  
Licence Type - FULL read more about licence types  
Expiry Date - 9 June 2014  
Licence history  
Relationship to Organisation - DIRECTOR

LICENCE NUMBER XXXXXXXXXXXXXXX

**BUSINESS ADDRESS**  
111 Bridge Road  
Palace Way  
London  
United Kingdom

**SERVICE ADDRESS**  
Same as business

**POSTAL ADDRESS**  
Same as business

**IMMIGRATION ADVISERS AUTHORITY**

**New Zealand Licensed Immigration Adviser**  
Joe Bloggs

HAS BEEN GRANTED A PROVISIONAL LICENCE TO OPERATE AS AN IMMIGRATION ADVISER UNDER THE IMMIGRATION ADVISERS LICENSING ACT 2007.

THIS LICENCE EXPIRES ON 31 MAY 2009  
LICENCE NUMBER 0000001

ऑनलाइन रजिस्टर का उपयोग करने में सहायता के लिए [info@iaa.govt.nz](mailto:info@iaa.govt.nz) या 0508 422 422 पर प्राधिकरण से संपर्क करें

## उस व्यक्ति का उपयोग करने से जोखिम, जो लाइसेंसीकृत या छूट-प्राप्त नहीं है

### जोखिम

उस व्यक्ति का उपयोग करने के जोखिम निम्न प्रकार हैं, जो लाइसेंसीकृत या छूट-प्राप्त नहीं है:



- › आपका विज्ञा आवेदन पत्र आप्रवासन न्यूज़ीलैंड (INZ) द्वारा लौटा दिया जाएगा। INZ, गैर-कानूनी तरीके से काम करने वाले अलाइसेंसीकृत लोगों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करता है।
- › हो सकता है कि अलाइसेंसीकृत लोग आपसे या INZ से सच न बोलें। अपने विज्ञा आवेदन पत्र पर झूठ लिखना एक दंडनीय अपराध है और झूठ बोलने से आपके भावी विज्ञा या नौकरियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
- › आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है क्योंकि अलाइसेंसीकृत व्यक्ति के पास आप्रवासन संबंधी ज्ञान या कुशलताएँ नहीं हैं।

### याद रखें

ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहें, जो:

- › आपके विज्ञा आवेदन पत्र पर अपना नाम लिखने से मना करता है
- › INZ में व्यक्तिगत संपर्क होने का दावा करता है
- › आपसे विज्ञा आवेदन पत्र को भरने से पहले उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। आपको कभी भी ऐसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, जिसे आप नहीं समझते हैं।